

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी- 297 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० एग्रो, लखनऊ को
जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पद
पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार
ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि
कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया
जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल
कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध
विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
- 3— जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 4— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 8— अनु सचिव, इरला (व०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 9— नियुक्ति अनुभाग-7
- 10— सम्बन्धित अधिकारी।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी- 298 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री देवी शरण उपाध्याय, अपर आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री उपाध्याय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

४८८
(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
- 3— जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- 4— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 8— अनु सचिव, इरला (व०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 9— नियुक्ति अनुभाग-7
- 10— सम्बन्धित अधिकारी।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

४८८
(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी- 299 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री श्रीवास्तव प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 3— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-301 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक /6 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रमेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी (कानून-व्यवस्था) मथुरा को
जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ के पद पर
एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री रमेश चन्द्र प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर
कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।
यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया
जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल
कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध
विभागीय कार्यवाही की जायेगी।



(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— जिलाधिकारी, मथुरा/बदायूँ।
- 3— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (व०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-300 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री मिश्रा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

४८८
(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास/ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— जिलाधिकारी, सोनभद्र।
- 3— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 4— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 8— अनु सचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 9— नियुक्ति अनुभाग-7
- 10— सम्बन्धित अधिकारी।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

४८८
(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-302/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री मनोज कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा को उनके कार्यों के साथ-साथ प्रभारी मजिस्ट्रेट मन्दिर परिसर, मथुरा के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है। उक्त अतिरिक्त कार्य के लिए श्री सिंह को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमत्य नहीं होगा।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— जिलाधिकारी, मथुरा।
- 2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5— अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 6— नियुक्ति अनुभाग-7
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— गार्ड फाइल।


आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-303 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री हरीलाल यादव, पी0सी0एस0-2001 प्रतीक्षारत को जनहित में
अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2— श्री यादव तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा
कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो
नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2— जिलाधिकारी, बरेली।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 6— अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 7— नियुक्ति अनुभाग-7
- 8— संबंधित अधिकारी।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-304 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना/चीनी एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 6— अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 7— नियुक्ति अनुभाग-7
- 8— सम्बन्धित अधिकारी।
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-305 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री मनोज कुमार प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 6— अनु सचिव, इरला (वै0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 7— नियुक्ति अनुभाग-7
- 8— सम्बन्धित अधिकारी।
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-306 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र पाल सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० एग्रो, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री सिंह प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— मण्डलायुक्त, आगरा।
- 3— जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (वै०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-307 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री लालजी मिश्रा, उपजिलाधिकारी, इटावा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री मिश्रा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 3— नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-308 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कमलेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/आजमगढ़।
- 3— जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (वै0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-309 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय नारायण पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चित्रकूट को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

- 2— श्री पाण्डेय प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3— नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 3— जिलाधिकारी, चित्रकूट।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7— अनु सचिव, इरला (वै0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8— नियुक्ति अनुभाग-7
- 9— सम्बन्धित अधिकारी।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।